भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1372
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए योजना

1372. श्री सनातन पांडेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदाओं आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कोई नई योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इसके अंतर्गत शामिल किए संसाधनों की प्रकृति/प्रकार का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या उक्त योजना से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने संबंधी दक्षता में सुधार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, जहां भी आवश्यक हो, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं और राज्य संसाधनों की क्षमता से परे के मामलों में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक करती है।

पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2016 में जारी की गई थी। एनडीएमपी आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करता है। यह एक 'डाइनामिक दस्तावेज' है और आपदा प्रबंधन में उभरती वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञानाधार को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसमें सुधार किया जाता है। तदनुसार, एनडीएमपी को 2019 में अद्यतन और संशोधित किया गया था। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1372, दिनांक 11.02.2025

सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) 2015-30, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के साथ संरेखित किया गया है।

उत्तरदायित्व ढांचे में किसी भी अस्पष्टता को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता है लेकिन एनडीएमपी इसे न्यूनतम करने की आवश्यकता को महत्व देता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों और देश में संबंधित अन्य हितधारकों द्वारा संसाधनों के तेजी से जुटाने और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए स्पष्ट भूमिका के साथ एक रूपरेखा प्रदान करता है।

इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी करने और शीघ्र कार्यवाही के उपाय करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्र मौजूद है। केंद्र सरकार ने एक सशक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में काफी सुधार किया है। देश में प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को शिक्षित करने के लिए मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, तैयारी, रोकथाम और कार्यवाही तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन को मजबूत करना शासन की एक सतत और विकासशील प्रक्रिया है।

*****